दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
26/8/25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अनुपस्थित होने से प्रार्थी का मूलवाद सं० 44/2024 0923 ओ०वी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी / चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रा० पत्र अ०नि० खारिज किया जाता है। पत्रावली के सकल सुमार होकर दर्ज नं० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) प्रशासनिक अधिकारी [illegible]	